

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं

फर्द अहकाम


मुं न 54/17 तारीख 2 जू 5-6/17

उनवान - गिरजि बनाम हरि को पहाड़ी

दावा बाबत खायी मिषे धाजा

बादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा हलोकेट ने दावा बाबत खायी मिषे धाजा पेश किया। आप पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीजग को जरिये समान से तलाब कर दिनांक 13.7.17 को पेश हो।

2015-82  
5-6/17


  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

13.7.17

बादी वकील उप। प्रतिवादीगण नाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। 10. सांघी जिं में पक्षों ही वाले डिग्री में दि. 3.8.17 को पेश हो।


3.8.17

बादी वकील उप। प्रतिवादी न। ता. 8 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। वाले जबर दि. 6-9-17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

6-9-17

बन्धुलाय उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने जबाब पेश करने के लिए समय मांगा दिया गया। पत्रों जबाब दिनांक 4-10-17 को पेश हो।

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. 118

फर्द अहकाम

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पहाड़ी में प्रस्तुत हुई। कादी एवं प्रतिवादी गण उपस्थित हुए। उभयपक्षकारों को समझाया गया। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि यदि कादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2720 रकबा 0.37 है पर हमारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण हो तो हम स्वयं ही हटालेंगे किन्तु सीमाज्ञान कराया अवगत करा दिया जोब। कादी ने भी कथन किया कि राजीनामा को सहमत हूँ। सीमाज्ञान करा दिया जोब। इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत का मुद्रमा ~~दिखी~~ का निस्तारित कर दिया जोब।

दि. 12/05/2018



सि. व. नं. 2720

श्यामलाल



वि. उ. प.

~~जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)~~

उभयपक्ष कारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर कादी का दावा सिद्धी किया जाता है। प्रतिवादी गण को स्याही निवेदाज्ञा से पापंद किया जाता है कि आराजी ख. नं. 2720 रकबा 0.37 है गुम पहाड़ी पर निर्माण नहीं करे। नोटि उन्हे बेदारल करे। मुताबिक राजीनामा जायब लहरीलदाए बालदाए को आदेश दिये जाते है कि गुम पहाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 2720 रकबा 0.37 है का दिनांक 31/5/18 को सीमाज्ञान

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक

जिहा जोब/ यदि इस भूमि में आति कुमण /  
 निमणि पाया जाता है तो स्वयं प्रतिवादीगण  
 उक्त निमणि को स्वयं हटायेगे / यदि प्रति  
 वादीगण स्वयं निमणि नहीं हटाते है तो  
 उनके हजे खर्चे पर निमणि / आति कुमण हक  
 जोब/ फाल्गा गीपोठे प्राध की जोब/ नायब  
 तहसीलदार ब्यापदाट को तहरीर जारी करे /  
 पचा डिखी जारी करे /

निर्णय आज दिनांक 30.5.18 को  
 लिखाया गए खुले न्यायालय कैम्प पराडी  
 में सुनाया गया

  
 ज. ज. सिंह आर्षी  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)